कार्यालय आदेश

विभाग की निर्माण शाखा द्वारा शासन से प्राप्त बजट से अंशदायी आधार पर प्रदेश की गन्ना विकास परिषदों के क्षेत्र में अन्तर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान में अभियन्त्रण शाखा में अभियन्ताओं की कमी है तथा विभागीय कार्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जिलों में सांसद एवं विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, इत्यादि से भी धन प्राप्त कर निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, जबकि गन्ना विकास विभाग की निर्माण शाखा को राज्य सरकार द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में अधिसूचित नहीं किया है तथा गन्ना एवं चीनी आयुक्त स्तर से भी कोई विभाग से इतर निधियों के कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।

अतः आदेश दिया जाता है कि विभाग की निर्माण शाखा द्वारा प्रदेश के किसी जनपद या गन्ना विकास परिषद क्षेत्र में सांसद/विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि या किसी अन्य विभाग का कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जायेगा। यदि विभाग से अन्यत्र किसी स्रोत से धन प्राप्त कर कोई निर्माण कार्य कराया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में ऐसे कार्य जिनके लिए कार्य एवं धन का आवंटन डी.आर.डी.ए. अथवा किसी अन्य संस्था से आदेश की तिथि तक किया जा चुका है तथा उन परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है उनकी धनराशि संबंधित संस्था को तत्काल वापस कर दी जाय एवं इस आशय का प्रमाण पत्र तत्काल मुख्यालय को प्रेषित कर दिया जाय। ऐसी परियोजनायें जिन पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, उनका कार्य 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण करके उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं भौतिक प्रगति आख्या संबंधित संस्था को तत्काल प्रेषित कर दिये जायें एवं इस आशय का प्रमाण पत्र भी तत्काल मुख्यालय को प्रेषित कर दिया जाय। जिन परियोजनाओं का कार्य 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण होना सम्भव न हों उनका धन बिना कार्य प्रारम्भ कराये तत्काल वापस कर दिया जाये। परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हुआ है अथवा नहीं, का सत्यापन सम्बन्धित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त द्वारा किया जायेगा तथा तद्नुसार जिला गन्ना अधिकारी को निर्देशित किया जायेगा जिसका पृष्ठांकन गन्ना आयुक्त कार्यालय को किया जायेगा।

उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।

कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.
17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग–लखनऊ।

पत्र संख्याः पी.ए./369/सी/2017–18 दिनॉकः 08–08–2017

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय को अनुपालनार्थ।
3. समस्त परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।
4. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।
5. समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।

कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश,
17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या : पी.ए./369 /सी/2017–18 दिनांक 08-08-2017

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को उपरोक्त की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।